Court of Virendra Kumar Chaubey, Additional Sessions Judge-I -cum- Children Court, Madhepura
Cr. Appeal No.-29/2016(Prakash Kr. Sahni vrs. State of Bihar.)

जिला : मधेपुरा(बिहार)

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह बाल न्यायालय, मधेपुरा।

उपस्थित–(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
सह बाल न्यायालय, मधेपुरा।
दिनांक 12.03.2026

किमीनल अपील सं0–29 / 2016

(जी0 आर0 नं0 110 / 2006 में किशोर न्याय परिषद, मधेपुरा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 से उद्भूत)

प्रकाश कुमार सहनी..अपीलकर्ता

बनाम

बिहार सरकार...उत्तरवादीगण

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री अनिल मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री गजेन्द्र नारायण यादव, विद्वान अधिवक्ता

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक अपील विधि विरूद्ध किशोर प्रकाश कुमार सहनी के द्वारा जी.आर. नं0 110 / 2006 में दिनांक 24.06.2006 को किशोर न्याय परिषद, मधेपुरा के द्वारा पारित दण्डादेश, जिसके माध्यम से उसे धारा 341,342,323,147,148,149 भा0द0वि0 के अधीन दोषी पाते हुये उसे एक वर्ष की अवधि तक विशेष गृह में रखे जाने का दण्डादेश पारित किया गया हैं, को अपास्त करने के लिये लाया गया हैं।

2. अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि इस विधि विरूद्ध किशोर प्रकाश कुमार सहनी का वाद तत्कालिन अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, मधेपुरा द्वारा दिनांक 29.01.2013 को किशोर न्याय परिषद में स्थानांतरित किया गया हैं। तत्पश्चात् किशोर न्याय परिषद, मधेपुरा द्वारा उसका विचारण करते हुये उसे धारा 341,342,323,147,148,149 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुये उसे एक वर्ष तक विशेष गृह में रखे जाने का आदेश पारित किया हैं जिसके विरूद्ध यह अपील दाखिल किया गया हैं।

Virendra K Chaubey
12.3.26

3. विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 23.07.16 को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायलय में दाखिल किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 21.01.20 को तत्कालिन अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, मधेपुरा के द्वारा प्रस्तुत अपील को इस न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया कि इस वाद में उन्हें दोषसिद्धि के संदर्भ में सुनवाई नहीं करनी हैं। अतः मामले

के गुणदोश पर विचार किये विना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत किशोर न्याय परिशद द्वारा पारित आदेश जिसमें किशोर को एक वर्ष तक विशेष गृह में रखे जाने का आदेश पारित किया गया हैं, को परिवर्तित कर अन्य समुचित आदेश पारित किया जाय।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि निर्णय दिनांक 24.06.2006 में कोई त्रुटी नही हैं तथा किशोर न्याय परिषद द्वारा किशोर को एक वर्ष तक विशेष गृह में रखे जाने का आदेश न्यायसंगत एवं विधि अनुकुल हैं। अतः प्रस्तुत अपील को खारिज करने की याचना करते हैं।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। सुनवाई के दौरान विधि विरूद्ध किशोर के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आज एक आवेदन पत्र दाखिल कर प्रार्थना किया गया हैं कि किशोर पढ़ने लिखने वाला छात्र हैं तथा वह दोषसिद्धि के बिन्दु पर सुनवाई नहीं करना चाहते हैं तथा केवल अधिरोपित आदेश पर सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करने निवेदन किया गया। अपीलकर्ता विधि विरूद्ध किशोर के विद्वान अधिवक्ता का कथन हैं कि विधि विरूद्ध किशोर प्रकाश कुमार सहनी को धारा 341,342,323,147,148,149 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुये धारा 15 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ष हेतु विशेष गृह में रखे जाने का आदेश पारित किया गया हैं, जो किशोर न्याय में उल्लेखित प्रावधानों के प्रतिकूल हैं तथा आदेश विधि सम्मत नहीं रहने के कारण अपास्त अथवा संशोधित किये जाने योग्य हैं। उनका यह भी कथन हैं कि किशोर लगभग 10 वर्षों से अपील लम्बन के दौरान विचारणाधीन हैं तथा उसे धारा 341,342,323,147,148,149 भा0द0वि0 के अन्तर्गत ही दोषसिद्ध किया गया हैं। अतः उसके विरूद्ध धारा 15 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानित अन्य आदेश पारित करने का निवेदन किया गया। दूसरी ओर विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया कि विधि विरूद्ध किशोर धारा 341,342,323,147,148,149 भा0द0वि0 में दोषी पाया गया हैं। विद्वान किशोर न्याय परिषद द्वारा वाद के सारे तथ्यों एवं परिस्थितियों का आकलन कर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया हैं, अतः उक्त आदेश सम्पुष्ट किये जाने के योग्य हैं।

06. उभय पक्ष के विद्वतापूर्ण तर्कों के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता हैं कि अभिलेख पर इस विधि विरूद्ध किशोर की आयु आदेश पारित करते समय 26 वर्ष थी। वर्तमान में इस विधि विरूद्ध किशोर की आयु लगभग 36 वर्ष हो चुकी हैं। किशोर की ओर से दोषसिद्धि के बिन्दु पर किसी प्रकार के सुनवाई न करते हुये केवल आदेश के बिन्दु पर सुनवाई का निवेदन किया गया हैं। ऐसे में किशोर को दोषसिद्ध मानते हुये धारा 15 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत उपबंधित आदेशों के आलोक में ही प्रस्तुत अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। किशोर न्याय परिषद द्वारा पूर्व में किशोर को धारा 15 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ष तक विशेष गृह में प्रतिप्रेषित करने का आदेश किया गया हैं। प्रस्तुत अपील की सुनवाई वर्ष 2016 से चल रही हैं तथा 10 वर्ष अपील की सुनवाई हेतु बीच चुके हैं तथा किशोर लम्बे समय से विचारणाधीन हैं। किशोर की वर्तमान में उम्र करीब 36 वर्ष

Virendra K Chaubey
12/3/26

हो चुकी हैं। आदेश पारित करते समय भी उसकी उम्र 26 वर्ष दर्शाई गई हैं। ऐसे में एक वर्ष तक विशेष गृह में भेजे जाने का आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। विचारण की लम्बी अवधि एवं वाद के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये किशोर न्याय परिषद द्वारा दिये गये आदेश अन्तर्गत धारा 15 में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

7. परिणामस्वरूप किशोर न्याय परिषद, मधेपुरा द्वारा दिनांक 24.06.2016 को पारित आदेश के उस अंश को अपास्त किया जाता हैं जिसमें किशोर को एक वर्ष तक विशेष गृह में प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया गया हैं तथा विधि विरूद्ध किशोर प्रकाश कुमार सहनी को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत सम्यक भर्त्सना के पश्चात् डांट–फटकार कर इस निर्देश के साथ कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा उसे अभिरक्षा से मुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता हैं। उक्त आलोक में अपील अंशतः **स्वीकृत** की जाती हैं।

लेखापित

Virendra Kr Chaubey

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)

जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

सह **बाल न्यायालय**, मधेपुरा